UPRN010072942025

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7, कानपुर देहात।

Misc. Civil Cases/ 4/ 2026

कृष्ण सेवक कटियार. . . . . बनाम. . . . . **केशवराम।**

दिनांकः 23. 03. 2026

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। इजरा वाद सं०- 01/ 2023 निष्पादन वाद के डिक्रीदार के द्वारा उक्त डिक्री के सन्दर्भ में जमा धनराशि मु० 25,000/ - रु० व 20,000/ - रु० अपने खाता सं०- 11800579483 में जमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया है। समर्थन में इजराय की प्रति, बैंक खाता की छायाप्रति प्रस्तुत किये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपील लिपिक की आख्या आहूत की गयी थी। अपील लिपिक की आख्या के अनुसार प्रकीर्ण वाद सं०- 04/ 2026 में न्यायालय के आदेश दिनांकित 08. 01. 2026 में मांगी गयी आख्या के सन्दर्भ में अवगत कराया गया है कि इजरा वाद सं०- 01/ 2023 कृष्णसेवक कटियार बनाम कृष्णराम में निर्णीत ऋणी केशवराम के द्वारा टेंडर के माध्यम से दिनांक 01. 01. 2025 को मु० 25,000/ - रु० तथा दिनांक 10. 07. 2025 को मु० 20,000/ - रु० जमा कराये गये हैं जिसके टेंडर क्रमशः कागज सं०- 37 ग- 2 व 45 ग- 2 पत्रावली पर संलग्नित हैं। नजारत की आख्या कागज सं०- 11 ग 2 दिनांकित 16. 03. 2026 व कागज सं०- 12 ग 2 दिनांकित 23. 03. 2026 के अनुसार क्रमशः मु० 20,000/ - रु० व 25,000/ - रु० की धनराशि का जमा व उपलब्ध होना पाया जाता है।

मेरे द्वारा विचार किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में धन वापसी प्रार्थना पत्र निष्पादन वाद सं०- 01/ 2023 के डिक्रीदार के द्वारा बतौर प्रार्थी प्रस्तुत किया गया है। उक्त धनराशि नियमानुसार डिक्रीदार/ प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि उक्त धनराशि मु० 25,000/ - रु० व मु० 20,000/ - रु० टेंडर के माध्यम से निर्णीत ऋणी के द्वारा जमा किये जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में सन्दर्भित धनराशि डिक्रीदार के खाते में भुगतान किये जाने योग्य है। तद्नुसार आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

एतद्द्वारा कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार संबंधित अनुभाग को आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रेषित करें। नजारत की आख्या में वर्णित धनराशि डिक्रीदार/ प्रार्थी

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.03.23 15:40:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के खाता सं०- 11800579483, IFSC- SBIN0011203, Branch- Shivrajpur में ई-पेमेंट के माध्यम से नियमानुसार भुगतान की संस्तुति की जाती है। तद्नुसार आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश हो।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः 23. 03. 2026

(अपर्णा त्रिपाठी- प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०- 7,
कानपुर देहात
JO Code: UP1628